(c) whether any specific relief has been provided to Delhi zoo to tide over its present difficulties and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI dKAMAL NATH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Municipal Corporation of Delhi has agreed to change the category of billing from category III to category II, reducing the tariff rate on water supply to National Zoological Park (NZP). There has been regular increase in the allocation of Non-Plan Budget of the NZP during the past 3 years keeping in view their requirements and financial constraints.

Allocation of budget grunt (Non-Plan) to NZP

(Crores of Rupees)

1992-93	1993-94	1994-95
1.32	1.55	1.65

वन-विभाग में अग्नि-शमन उपकरणों की उपलब्धता

7645. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन-विभाग को आधुनिक अग्निशमन उपकरण उपलब्ध करा दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन उपकरणों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो वनों में गर्मियों में लगने वाली आग को बुझाने हेतु क्या उपाय किये जाते हैं;

(ग) किन-किन वन-मंडलों में आधुनिक अग्नि-शमन उपकरण उपलब्ध कराए गये हैं; और

(घ) 1 मार्च से 31 मई, 1994 तक मध्य प्रदेश के वनों में आग लगने से कितनी क्षति हुई और जिन वनों में यह आग लगी, उनका ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धतियां" ग्यारह राज्यों में चल रही हैं। ये राज्य हैं: आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इस स्कीम को अब राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, जीवमंडल रिजर्वों तथा बाघ परियोजना रिजर्वों सहित देश के सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अग्नि प्रवण क्षेत्रों में लागू किया गया है।

दावानल में प्रयुक्त औजार और उपस्कर गुलास्की, ब्रुश हुक, डबल बिट एक्स, बेलचा, मेकलेड, फायर रेकर, फायर फाइन्डर, फायर टेंडर, बेतार सेट तथा अग्नि प्रतिरोधी-कपड़े आदि हैं। अब तक इन औजारों/उपस्करों का प्रयोग दावानल नियंत्रण के लिए ऊपर वर्णित 11 राज्यों में किया गया है। अन्य मामलों में दावानल के नियंत्रण के लिए परम्परागत पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों में पर्यावरण वाहिनियों का गठन

7646. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारें पर्यावरण वाहिनियां गठित कर रही है और यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं;

(ख) क्या पर्यावरण वाहिनियों का गठन करने संबंधी प्रक्रिया केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के निदेशों के अंतर्गत तैयार की गयी है; यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन वाहिनियों में उन आदिवासियों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने जल-जंगल-जमीन के विकास अभियान हेतु ब्लाक एवं ग्राम स्तर पर पहले ही समितियां गठित कर ली हैं और जिन्होंने विकास कार्य हेतु गांव-गांव का दौरा किया है अथवा कर रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां। जिन राज्यों में पर्यावरण वाहिनियों का गठन किया जा रहा है, उनके नाम संलग्न विवरण-I (**नीचे देखिये**) में दिये गये हैं।

(ख) पर्यावरण वाहिनियों के गठन के लिए क्रियाविधि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है। उक्त क्रियाविधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। (**नीचे देखिये**)

(ग) गठन संबंधी क्रियाविधि में उल्लिखित योग्यता

मानदण्ड को पूरा करने वाले आदिवासियों और अन्य लोगों को पर्यावरण वाहिनियों में शामिल किया जाएगा।

विवरण-1

जिन राज्यों में पर्यावरण वाहिनियां गठित की जा रही हैं, उनकी सूचीः

1. आन्ध्र प्रदेश
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम
4. बिहार
5. गोआ
6. गुजरात
7. हरियाणा
8. जम्मू और कश्मीर
9. कर्नाटक
10. केरल
11. मध्य प्रदेश
12. महाराष्ट्र
13. मणिपुर
14. मेघालय
15. मिजोरम
16. नागालैंड
17. उड़ीसा
18. पंजाब
19. राजस्थान
20. सिक्किम
21. तमिलनाडु
22. त्रिपुरा
23. उत्तर प्रदेश
24. हिमाचल प्रदेश

विवरण-II

"पर्यावरण वाहिनियों" के गठन की क्रियाविधि

इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए चुने गये प्रत्येक जिले में एक "पर्यावरण वाहिनी" होगी। प्रत्येक वाहिनी की सदस्य संख्या 100 तक होगी। आरंभ में सदस्यों की संख्या 20 तक होगी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निदेश/अनुमोदन से बाद में इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। वाहिनियों की सदस्यता विद्यार्थियों, युवकों, व्यक्तियों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए खुली रहेगी। प्रत्येक वाहिनी में गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों का अनुपात 25:75 का होगा। जिले का कम-से-कम एक हाईस्कूल, एक कालेज तथा मौजूद होने पर एक एन॰सी॰सी॰ यूनिट को भी 20 सदस्यों में शामिल किया जाएगा।

सदस्यों का चयन, तीन सदस्यों की समिति द्वारा किया जाएगा। जिसके अध्यक्ष समाहर्ता, वन संरक्षक/डिवीजनल वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी) तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य वन संरक्षक अथवा राज्य पर्यावरण विभाग का एक अधिकारी सम्मिलित होगा। चयन समिति की बैठक का आयोजन समाहर्ता द्वारा किया जाएगा जो चुने गये सदस्यों को भी अधिसूचित करेगा।

समाहर्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक सदस्य को भर्ती पत्र और पहचान पत्र जारी किये जाएंगे। प्रत्येक सदस्य को उसके भर्ती पत्र में यह स्पष्ट बता दिया जाएगा कि यह सरकार में कोई रोजगार नहीं है और सदस्यता बिल्कुल अस्थाई और अवैतनिक है।

वाहिनी की सदस्यता साधारणतः सदस्यता-पत्र जारी करने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए होगी। तथापि, अगर सदस्य अनिच्छुक हो अथवा अपनी भूमिका उपयुक्त रूप से निभाते हुए नहीं पाए जाते हैं तो चयन समिति द्वारा किसी सदस्य को पहले हटाया जा सकता है। चयन समिति के अंतिम निर्णय होने तक समाहर्ता सदस्यता को निलम्बित करने में सक्षम होगा।

नारायण सरोवर अभयारण्य, गुजरात

7647. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्लः** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मानदंडों का उल्लंघन करके गुजरात के कच्छ क्षेत्र में नारायण सरोवर अभयारण्य संबंधी अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है;

(ख) क्या उक्त अधिसूचना को रद्द करने से पूर्व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत बाध्यकारी विधायी स्वीकृति और वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गई थी;